सर्वोच्च प्राथमिकता

कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक -166 /एस0टी0/डी0ए0एच0/2013-14 दिनॉक 14-X-13

1- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2

पशुपालन विभाग।

2- समस्त मुख्य पशचिकित्साधिकारी,

उत्तर प्रदेश ।

दिनांक 10.10.2013 को 3.00 बजे पी0ए0सी0 की सम्पन्न हुई बैठक में मा0 सभापति महोदय द्वारा भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक के अनुश्रवण एवं निरीक्षण के प्रश्न के सम्बन्ध में यह उत्तर दिया गया कि अपर निदेशक ग्रेड-2 पशुपालन विभाग और मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को नियमित रूप से अनुश्रवण निरीक्षण आदि के निर्देश दिये गये थे कि क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थ अपर निदेशक ग्रेड-2 एवं जनपद स्तर पर पदस्थ मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों, द्वारा विभाग के कार्यो का कियान्वयन हेतु पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ आपका यह भी उत्तरदायित्व है कि सभी योजनाओं का उचित व सही ढंग से कियान्वय हेतु वह अपने क्षेत्रीय स्तर/जनपदीय मुख्यालय पर माह में एक बैठक अवश्य आहूत करें जिसके लिये प्रदेश के सभी मुख्य पशुचिकित्साधिकारियो को वाहन उपलब्ध है। उत्तर में यह भी कहॉ गया है कि विभाग के दोनो अधिकारी अपने-2 सीमान्तर्गत लक्षित दस क्षेत्रीय स्तर पर एवं दस जनपद स्तर पर पशुचिकित्सालय एवं पशुसेवा केन्द्रों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण कर अनुपालन कर रहे है। इसकी पुष्टि हेतु पी0ए0सी0 के सभापति महोदय ने यह निर्देश दिये है कि जनपदवार, संस्थावार अप्रैल 2012 से सितम्बर 2013 तक निरीक्षण की रिपोर्ट जनपदवार/संस्थावार माहवार कितना निरीक्षण प्रतिमाह किया गया है। उसकी निरीक्षण संख्या एवं आख्या माह वार अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। यह आख्या मा0 सभापति पी0ए0सी0 को एक सप्ताह के अन्दर जानी है। अतः प्राथमिकता के आधार पर विशेष वाहक से सूचना अधोहस्ताक्षरी को समयबद्ध/बिना किसी विलम्ब के भेजना सुनिश्चित करे। अन्यथा की स्थिति में विलम्ब के लिए आप स्वंय जिम्मेदार होगें।

(रूद्र प्रताप)
निदेशक

पत्रांक /एस0टी0/डी0ए0एच0/2013-14 दिनॉकः-

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, पशुधन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रूद्र प्रताप)
निदेशक